



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता

बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता

संदर्भ

- हाल के वर्षों में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की प्रासंगिकता को संस्थागत ठहराव, रुकी हुई वार्ताएँ और बढ़ते संरक्षणवाद के कारण प्रश्नों के घेरे में रखा गया है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बारे में

- यह एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित मुद्दों को देखता है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमान योग्य और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो।

WTO का गठन

- पूर्ववर्ती संगठन:
 - 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 23 देशों द्वारा एक बहुपक्षीय संधि के माध्यम से सामान्य शुल्क एवं व्यापार समझौता (GATT) स्थापित किया गया था।
 - GATT का उद्देश्य सदस्य राज्यों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापारित वस्तुओं पर शुल्क को नियंत्रित और कम करना, तथा व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक सामान्य तंत्र प्रदान करना था।
- माराकेश समझौता:
 - WTO की स्थापना को 1986 से 1994 तक चली GATT की उरुग्वे दौर की वार्ताओं के दौरान सहमति दी गई।
 - इसे 15 अप्रैल, 1994 को 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिससे उरुग्वे दौर का समापन हुआ और WTO आधिकारिक रूप से स्थापित हुआ।
 - WTO ने GATT के दायरे का विस्तार किया और सेवाएँ, बौद्धिक संपदा, विवाद समाधान, और व्यापार नीति समीक्षा तंत्र को शामिल किया।
 - WTO ने 1 जनवरी, 1995 को माराकेश समझौते के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया, और GATT की जगह ले ली।

WTO की संगठनात्मक संरचना

- मंत्री स्तरीय सम्मेलन:
 - WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो सामान्यतः प्रत्येक दो वर्ष में एक बार आयोजित होता है।
- सामान्य परिषद्:
 - यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन के ठीक नीचे आता है और प्रत्येक वर्ष कई बार जिनेवा में WTO मुख्यालय में बैठक करता है।
 - यह व्यापार नीति समीक्षा निकाय और विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य करता है।
- व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) परिषद्:
 - यह वस्तुएँ, सेवाएँ और बौद्धिक संपदा के लिए जिम्मेदार है और सामान्य परिषद् को रिपोर्ट करता है।

विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान तंत्र:

- विश्व व्यापार संगठन के पास अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को हल करने के लिए एक विवाद निपटान तंत्र है, और यह विश्व में सबसे सक्रिय अंतरराष्ट्रीय विवाद निपटान तंत्रों में से एक है।

- 1995 से, 350 से अधिक फैसले जारी किए गए हैं।
- **अपीलीय निकाय (WTO की विवाद निपटान प्रणाली):** ये WTO सदस्यों के बीच व्यापार विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- अपीलीय निकाय की स्थापना 1995 में विवादों के निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं पर समझ के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की गई थी।

WTO के समक्ष चुनौतियाँ

- **विवाद निपटान संकट:** WTO का सर्वोच्च विवाद समाधान मंच, अपील निकाय (Appellate Body), 2019 से कार्यरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर दिया। अब देश द्विपक्षीय प्रतिशोध और एकतरफा व्यापार उपायों का सहारा ले रहे हैं, जिससे WTO की प्रवर्तन प्रणाली कमजोर हो रही है।
- **संरक्षणवाद का बढ़ता प्रभाव:** अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, निर्यात प्रतिबंध और प्रतिबंध WTO मानदंडों के प्रति बढ़ती उपेक्षा को दर्शाते हैं। कई राष्ट्र सबसे अनुकूल राष्ट्र (MFN) सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था विखंडित हो रही है।
- **अटकी हुई वार्ताएँ:** दोहा विकास एजेंडा (2001) का उद्देश्य विकासशील देशों की चिंताओं को संबोधित करना था, लेकिन दो दशक से अधिक समय से ठप पड़ा है। कृषि सब्सिडी, मत्स्य नीति या डिजिटल व्यापार नियमों पर कोई महत्वपूर्ण सहमति नहीं बनी है।
- **नए व्यापार क्षेत्रों को संबोधित करने में विफलता:** WTO में ई-कॉमर्स, डिजिटल कराधान और जलवायु संबंधी व्यापार नीतियों पर कोई बाध्यकारी नियम नहीं हैं। देश क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का गठन कर रहे हैं, जिससे WTO ढाँचे को दरकिनार किया जा रहा है।
- **विकासशील देशों का हाशिए पर जाना:** विकासशील देश तर्क देते हैं कि WTO वार्ताओं में उनके हितों की अनदेखी की जाती है। विशेष और भिन्न व्यवहार (S&DT) प्रावधानों पर संकट बना हुआ है, जिससे घरेलू उद्योगों की रक्षा करने की उनकी क्षमता सीमित हो रही है।

भारत का WTO सुधारों पर दृष्टिकोण

- **बहुपक्षीय व्यापार समर्थन:** भारत नियम-आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली का समर्थन करता है लेकिन जल्दबाजी में किए गए उदारीकरण का विरोध करता है, जिससे घरेलू उद्योगों को हानि हो सकती है।
- **डिजिटल व्यापार नियमों पर चिंता:** भारत डेटा लोकलाइजेशन और ई-कॉमर्स नियमों पर सतर्क दृष्टिकोण अपनाए हुए है, जिससे टेक कंपनियों के प्रभुत्व का खतरा है।
- **कृषि सुधारों पर बल:** भारत न्यायसंगत कृषि व्यापार नीतियों की माँग करता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग शामिल है।

आगे की राह: सुधार या प्रतिस्थापन?

- **विवाद निपटान तंत्र को पुनर्जीवित करना:** अपील निकाय को पुनर्स्थापित करने के लिए सुधार आवश्यक हैं, जिससे व्यापार विवादों का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित हो सके।
- **डिजिटल और जलवायु व्यापार मुद्दों को संबोधित करना:** WTO को ई-कॉमर्स, कार्बन बॉर्डर टैक्स और हरित सब्सिडी पर बाध्यकारी नियम स्थापित करने चाहिए।

- न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: विकासशील देशों को व्यापार वार्ताओं में अधिक प्रभाव मिलना चाहिए, जिससे समान रूप से लाभकारी नीतियाँ लागू हो सकें।
- विशेष और भिन्न व्यवहार (SDT): स्वयं को 'विकासशील' घोषित करने वाले चीन जैसे देशों द्वारा लाभ लेने की शर्तों की पुनः समीक्षा होनी चाहिए।

निष्कर्ष

- हालाँकि WTO संस्थागत चुनौतियों का सामना कर रहा है, यह वैश्विक व्यापार शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। इसके विवाद समाधान प्रणाली, वार्ता ढाँचे और व्यापार नीतियों में सुधार करना आवश्यक है, ताकि इसे

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: विश्व व्यापार संगठन (WTO) डिजिटल व्यापार, बढ़ते संरक्षणवाद और विकासशील देशों के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व जैसी आधुनिक वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस प्रकार अनुकूलन कर सकता है ताकि आज के आर्थिक परिदृश्य में वह प्रासंगिक बना रहे?

